

शोधन अक्षमता संशोधन वधियक लोकसभा में प्रस्तुत

चर्चा में क्यों?

सरकार ने हाल ही में दवालियापन कानून में संशोधन के लिये प्रस्ताव पेश किया जो गृह खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में पहचाने जाने में सक्षम बनाता है और क्रेडिटर्स समिति (सीओसी) द्वारा एक संकल्प योजना को मंजूरी देने हेतु न्यूनतम मतदान सीमा को कम करता है। साथ ही अपनी कंपनियों की बोली लगाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रमोटरों को एक विशेष छूट प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु

- यह वधियक शोधन अक्षमता और दवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को प्रतस्थापित करता है, जिससे पछिले महीने राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में 4 लाख करोड़ रुपए की तनावग्रस्त संपत्तियाँ आईबीसी के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रही हैं।
- यह वधियक घर खरीदने वालों को राहत प्रदान करता है, जिनके बारे में रयिल एस्टेट कंपनियों की समाधान प्रक्रिया में पहले कोई बात नहीं की गई थी। इस वधियक में प्रावधान किया गया है कि एक रयिल एस्टेट परियोजना के तहत आवंटनकर्ता द्वारा जुटाई गई किसी भी राशि को उधार लेने के लिये वाणिज्यिक प्रभाव वाली राशि माना जाएगा।
- इसका अर्थ है कि गृह क्रेताओं के साथ दवालियापन कानून के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के वित्तीय लेनदारों की भौतिक व्यवहार किया जाएगा।
- यह वधियक क्रेडिटर्स की समिति द्वारा "महत्वपूर्ण नरिणय" लेने हेतु एक प्रस्ताव योजना को मंजूरी देने के लिये आवश्यक न्यूनतम मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से कम करके 66 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता है। "नियमिति नरिणयों" के लिये, न्यूनतम मतदान सीमा को 75 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत कर दिया गया है।
- वधियक में प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार, एमएसएमई के डफॉल्ट हो रहे प्रमोटरों को आईबीसी की धारा 29A द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी, जिससे उन्हें अपनी कंपनियों के लिये बोली लगाने में मदद मिलेगी। हालाँकि, यह छूट इरादतन चूककर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं होगी तथा उन्हें उनकी कंपनियों के लिये बोली लगाने से रोक दिया जाएगा।
- धारा 29A इरादतन चूककर्ताओं, अमुक्त शोधन अक्षमता वाली संस्था, प्रतभूत बाज़ार में व्यापार से प्रतबंधित व्यक्तियों और एक वर्ष से अधिक के लिये एनपीए के रूप में वर्गीकृत खाता और बोलियाँ जमा करने से पहले अतदिय राशि का भुगतान करने में वफिल कंपनियों जैसी कई संस्थाओं को समाधान के लिये रखी गई कंपनियों की बोली लगाने से रोकती है।
- एमएसएमई के मामले में बड़ी कंपनियों को समाधान हेतु आवेदकों के रूप में आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये छूट दी जा रही है कि मौजूदा प्रमोटरों पर कानून लगाई गई सीमाओं की वजह से छोटी कंपनियाँ परसिमापन की ओर न बढ़ें।
- कॉर्पोरेट देनदारों द्वारा कॉर्पोरेट शोधन अक्षमता संकल्प प्रक्रिया (सीआईआरपी) की शुरुआत के संबंध में वधियक प्रावधान करता है कि इस तरह के आवेदन को केवल एक विशेष प्रस्ताव के बाद कॉर्पोरेट देनदार के तीन-चौथाई शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- संहिता के तहत प्रवेश के बाद आवेदक द्वारा किसी मामले को वापस लेने के लिये सख्त प्रक्रिया का नरिधारण नए परिवर्तनों द्वारा किया गया है। इस तरह की नकिसी को केवल 90 प्रतिशत वोटिंग शेयर सहित सीओसी की मंजूरी के साथ अनुमत होगी।